न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 636/26
त्रिवेणीगंज थाना काण्ड सं0– 534/25

	1. अभिमन्यु राम उर्फ अभिमन्यु कुमार, 2. दिपेन राम उर्फ दीपनारायण राम.....आवेदकगण **बनाम्** बिहार सरकार.....विपक्षी	
04/06/26	अभियुक्त अभिमन्यु राम उर्फ अभिमन्यु कुमार एवं दिपेन राम उर्फ दीपनारायण राम की ओर से त्रिवेणीगंज थाना काण्ड सं0– 534/25 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका दिखाते हुए दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार झा के द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा प्रार्थीगण को गांव की गंदी राजनीति के तहत झूठा फंसाया गया है तथा प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप बनावटी व मनगंढंत है। प्रस्तुत वाद की पिड़िता के आधार कार्ड एवं 10वीं के अंक–पत्र के अनुसार उसकी जन्मतिथि 04/03/2007 है जिससे स्पष्ट होता है कि घटना के तिथि को पिड़िता बालिग थी। इस प्रकार धारा 96 बी.एन.एस. का आरोप लागू नहीं होता है। पिड़िता ने धारा 183 बी0एन0एस0एस0 के बयान में घटना का समर्थन नहीं की है तथा ससुराल में पति के साथ रहने की बात कही है। प्रार्थी अभियुक्त दीपनारायण राम पिड़िता के ससुर है तथा उसे दोनों के बीच के प्रेम–प्रसंग की जानकारी पहले से नहीं था। प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप आकर्षित नहीं होता है। प्रार्थी अभियुक्तगण सक्षम जमानतदार देने, धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के प्रावधानों का अनुपालन करने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं। विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री कमल नारायण यादव द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया। प्रस्तुत वाद सूचिका सुशीला देवी के लिखित आवेदन के आधार पर धारा 137(2), 96, 3(5) BNS के अंतर्गत त्रिवेणीगंज थाना काण्ड सं0 534/25 दर्ज किया गया है। सूचिका का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 23/10/25 को रात्रि में उसकी नाबालिग पुत्री मेला देखने के लिए खाना खाकर गयी थी। देर रात्री वह बाथरूम जाने की बात कहकर बगल में गयी तभी कुछ देर बाद वापस आयी और बोली चलो घर हमको नींद आ रहा है और वह घर आ गयी और सभी सोने चले गये। करीब 03 बजे रात्रि में खटर–फटर की आवाज सुनकर अचानक सूचिका की नींद खुली तो वह उठकर बाहर गयी तो अंधेरे में देखी की कुछ लोग उसकी बेटी को बाईक पर खिंच कर बैठा रहा था और वह बैठना नहीं चाह रही थी। सूचिका चुपचाप नजदीक जाने लगी तो देखी की अभियमन्यु राम उसकी बेटी को जबरन बाईक पर बैठा लिया जबकि दीपेन राम सहयोग कर रहा था। बाईक चालक को अंधेरे में पहचान नहीं सकी। सूचिका के द्वारा हल्ला करने पर सभी उसकी बेटी को बाईक पर जबरन बैठाकर तेजी से चले गये। उभय पक्ष को सुना। अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध सूचिका की पुत्री को जबरन बाईक पर बैठाकर भगाकर ले जाने का आरोप है परंतु पीड़िता ने अपने धारा 183 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत दिये गये बयान में कथन की है पीड़िता की मां उसकी शादी 45 वर्ष के आदमी के साथ कराना चाहती थी, जब पिड़िता ने विरोध की तो उसकी मॉ उसके साथ मारपीट की, उसी गुस्सा में वह अकेले 5–6 माह पूर्व मुंबई चली गई। वहॉ एक साड़ी कंपनी में काम करने लगी और तबियत खराब हुई तो एक माह पूर्व घर आयी और	
04/06/26		लगातार...

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 636/26
त्रिवेणीगंज थाना काण्ड सं0– 534/25

लगातार	अभिमन्यु कुमार से बोली की मुझसे शादी कर लो क्योंकि अभिमन्यु कुमार से वह 05 वर्ष से प्यार करती थी और साथ में पढ़ाई करती थी तथा वह अभियुक्त अभियमन्यु कुमार से शादी कर ली (काण्ड दैनिकी का पैरा– 51)। अभिलेख पर उपलब्ध अपहृता का 10वीं का अक–पत्र में उसकी जन्मतिथि 04/03/2007 अंकित है जिससे स्पष्ट है कि घटना की तिथि को पिड़िता की आयु 18 वर्ष से अधिक है। काण्ड दैनिकी की कंडिका 61 से स्पष्ट है कि पिड़िता ने अपना शारीरिक जॉच नहीं करायी है और कहीं है कि मैं बालिग हूँ। जमानत आवेदन के कंडिका 3 के अनुसार प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रार्थी अभियुक्तगण अभिमन्यु राम उर्फ अभिमन्यु कुमार एवं दिपेन राम उर्फ दीपनारायण राम की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। तद्नुसार आदेश प्राप्ति/प्रस्तुती के तीन सप्ताह के अंदर प्रार्थी आवेदकगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर या निम्न न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर विद्वान निम्न न्यायालय के संतुष्टि पर मो0 10,000/- के दो प्रतिभूओं के साथ जमानत बंध–पत्र दाखिल करने पर धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के प्रावधानों के अधीन अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित (दिलीप कुमार सिंह) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सुपौल	